राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 6780 दिनांकः 7/09/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू,
दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुंनू, जोधपुर, करौली,
नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव माह सितम्बर–अक्टूबर, 2020 – चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 7463 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के आम चुनाव माह जनवरी एवं मार्च 2020 में संपन्न कराए जा चुके है। तत्समय आम चुनाव से 3859 ग्राम पंचायतें शेष रह गई थी। इसके अतिरिक्त जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी एवं जालौर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत थलवाड का कार्यकाल भी माह अगस्त, 2020 में समाप्त हो गया है। इस तरह कुल 3861 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव कराए जाने थे किन्तु राज्य सरकार द्वारा नवीन नगरपालिकाओं के गठन में उक्त 3861 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतों (अलवर जिले की 6 ग्राम पंचायते लेकडी, कफनवाडा, लीली, मौजपुर, हसनपुर एवं लक्ष्मणगढ, भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत सीकरी, दौसा जिले की ग्राम पंचायत मंडावरी, जयपुर जिले की ग्राम पंचायत बस्सी, जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा एवं सवाईमाधोपुर जिले की ग्राम पंचायत बामनवास पट्‌टीकला एवं बामनवास खुर्द) को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया, जिससे अब सिर्फ 3848 ग्राम पंचायतों में ही आम चुनाव होने है। जिल/पंचायत समिति वार इन 3848 ग्राम पंचायतों की सूची पत्र के साथ परिशिष्ट 'A' पर संलग्न है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त 3848 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार चरणों में सम्पन्न होगा। चरणवार चुनाव कार्यक्रम पत्र के साथ परिशिष्ट 'B' संलग्न है। चरणवार चुनाव कार्यक्रम के साथ पंचायत समिति का नाम व उनमें सम्मिलित ऐसी पंचायतों की संख्या जिनमें निर्वाचन कराया जाना है, की सूचना परिशिष्ट 'C' पर संलग्न है।

उक्त 3848 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं पंच पद का निर्वाचन परम्परागत तरीके मतपेटी एवं मतपत्र (Ballot Box and Ballot Paper) के माध्यम से करवाया जायेगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है। अतः आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु आयोग द्वारा विस्तृत गाईडलाईन जारी की गई हैं, जो आपको पत्रांक 6694 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा भिजवा दी गई है। चुनावों के दौरान उक्त गाईडलाईनों की पालना सुनिश्चित करते हुए समुचित प्रचार–प्रसार भी किया जाए।

विशेष नोट – यदि पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट 'A' में अंकित ग्राम पंचायतों की सूची में ऐसी कोई ग्राम पंचायत सम्मिलित होने से रह गई हैं, जिसका आम चुनाव ड्यू हो चुका है अथवा ऐसी कोई ग्राम पंचायत सम्मिलित है, जिसमें किसी भी कारण से चुनाव नहीं होना है, तो ऐसी ग्राम पंचायतों की सूचना से आयोग को तुरन्त ही अवगत कराया जाए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
7/9
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 6781-82 दिनांकः 7/09/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

7/9/2020
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव